झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची।

पत्र सं0:–वि0प्रा0 / यो0–57 / 11 / राँची, दिनांकः–

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, हीनू, राँची।

विषयः– **वर्तमान वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, राँची (JCSTI) के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों हेतु रू0 10,00,00,000/–(रू0 दस करोड़) अनुमानित व्यय हेतु सहायक अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक 257/बजट दिनांक 21.03.2024 के आलोक में राज्य सरकार ने वर्तमान वर्ष 2024–25 में झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, राँची के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित व्यय की राशि रू0 10,00,00,000/–(रू0 दस करोड़) मात्र झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, राँची (JCSTI) के पक्ष में सहायक अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

02. राशि की निकासी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लधुशीर्ष–004–अनुसंधान/उपशीर्ष–41–झारखंड कौंसिल ऑन साईस एंड टेक्नोलॉजी, राँची, सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई में उपबंधित राशि रू0 10,00,00,000/–(रू0 दस करोड़) के अधीन विकलनीय होगा।
(विपत्र कोड– **43S22030000441010679**)

03. स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात आवश्यकतानुसार आवंटन प्रदान की जायेगी तथा राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक–निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय होगें। राशि निकासी के पश्चात् निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक मुश्त राशि झारखंड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, राँची के पी0एल0 खाता हेतु शीर्ष 8448 में आवश्यक औपचारिकताऐं पूरा करते हुए जमा करायेंगे।

04. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार डोरण्डा राँची से की जायेगी।

05. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्रांक 2561 दि0 17.04.98 में निहित दिशानिर्देश एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों में निर्दिष्ट अनुदेशों के आलोक में की जाएगी। इसके साथ ही कार्यपालक निदेशक JCSTI में निरूपित नियमों के आलोक में ही राशि की निकासी एवं व्ययन सुनिश्चित करेगें। JCSTI के अन्तर्गत जिन चालू कार्य योजनाओं के लिए विगत वर्ष राशि विमुक्त की गई है, उक्त योजनाओं का समुचित उपयोगिता प्रतिवेदन से पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद ही संबंधित संस्थाओं को वर्त्तमान स्वीकृत राशि आवश्यकतानुसार विमुक्त योग्य होगी।

06. झारखंड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प सं0 118 दिनांक 12.01.2007 में वित्तीय प्रबंधन के संबंध में दिये गये निदेश का अनुपालन JCSTI के कार्यपालक निदेशक सुनिश्चित करेगें।

07. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक COBT के अनुरूप एवं JCSTI के निरूपित नियमों को पूर्णतः पालन करते हुए स्वीकृत राशि नियमानुसार व्यय की जायेगी।

08. यह राशि State Scheme Code-0146 से संबंधित है।

09. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र JCSTI के कार्यपालक निदेशक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 261 के अनुसार इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष 2022–23 में निकासी की गयी राशि की विवरणी –

स्वीकृत्यादेश सं0 एवं तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
07 / योजना दिनांक 21.06.2022	21,00,00,000 / –	21,00,00,000 / –

11. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्त्तन नहीं किया जाय, इसके लिए JCSTI के कार्यपालक निदेशक जिम्मेवार होगे।

12. झारखण्ड़ कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।

13. स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार राज्य सरकार एवं महालेखाकार झारखण्ड़ रॉची का होगा

14. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।

15. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 / यो0–57 / 11 / रॉची, दिनांकः–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 / यो0–57 / 11– 46/ओजना / रॉची, दिनांकः– 28/03/2025

प्रतिलिपि–मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार / निदेशक, तकनीकी शिक्षा / बजट पदाधिकारी / सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय / नोडल पदाधिकारी को **Upload** हेतु / विपत्र शाखा (दो प्रतियों में) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग / कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/03/25
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव